कार्यालय आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।

Email- comm-fcs-uk@nic.in Phone -0135-2780765, 2781390

पत्रांक– 292/आ0खा0/237/2019 दिनांक 13 मई, 2019

(महत्वपूर्ण/समयबद्ध)

सेवा में,

(1) उपायुक्त, खाद्य
कुमायूँ सम्भाग,
हल्द्वानी।

(2) उपायुक्त, खाद्य
गढवाल सम्भाग,
देहरादून।

(3) उपायुक्त/जिलापूर्ति अधिकारी,
देहरादून।

विषय– लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 में उल्लिखित समय–सारिणी का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सख्या–423/19–XIX–2/15 खाद्य/2018 दिनाक 10 मई, 2019 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के द्वारा शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त करने एव प्राप्त आवेदन पत्रो को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिनाक 20 मई, 2019 तक विवरण शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम मे अनुरोध है कि लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 में उल्लिखत समय–सारिणी के अनुपालन में अपने विकल्प/आवेदन पत्र तत्काल खाद्यायुक्त कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि दिनांक 20 मई, 2019 तक विवरण शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

13.5.19

(पी0एस0पांगती)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सख्या–423/19–XIX–2/15 खाद्य/2016 दिनाक 10 मई, 2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

13.5.19

(पी0एस0पांगती)
सयुक्त आयुक्त

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

संख्या 423 / 19–XIX–2/15 खाद्य/2018

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2.नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

St.
हे. मन्त्री
13.5.19

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 10 मई, 2019

विषयः लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 में उल्लिखित समय–सारिणी का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 मे उल्लिखित समय–सारिणी का अनुपालन में शासन स्तर से श्रेणी "क" के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण किया जाना है। इस हेतु पूर्व में ही शासन में स्थानान्तरण समिति गठित है। अतः कृपया शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कामिकों से विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को विभागीय वेबसाई पर प्रदर्शित कर दिनाक 20 मई, 2019 तक विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।